

तारीख  
हुकम

दावा : 252/2015

नम्बर  
आहवा  
हुकम  
में ज

14 <sup>10</sup>/<sub>2021</sub>

आज P.O साहब अन्य काम में पीटिंग / कैंप में व्यर्थ रहे।  
कोरे में/बार द्वारा कार्यस्थिति को से  
ता.पेसी दी गई। गत आदेशों की पालना  
में दिनांक 17/11-2021 को पेश हो

(उक्त)

17 <sup>11</sup>/<sub>2021</sub>

वकील उभाप पत्र उपर/ प्रारंभिक पत्र  
वकील को सुना गया/ वास्तु आदेश  
प्राप्त है/ फावली दिनांक 14-12-2021  
को पेश हो। (७)

14 <sup>12</sup>/<sub>2021</sub>

वकील उभाप पत्र उपर/ वहस परमन  
करते हुए पत्रावली को अवलोकन किया  
गया। पुर्वोक्त अधिवक्ता द्वारा दिनांक  
12-2-2021 को वादी सं. 6 रामवतार के  
देहान्त होने के बाद कां. मु. की कार्यवाही  
नहीं करने के लिए प्रा. पत्र पेश किया गया।  
प्रकृतिक रूप से यह सुचना स्वयं वादी  
अधिवक्ता को पता होनी चाहिए। इसके  
व्यतिरिक्त दि. 12-2-2021 से आज दिनांक  
तक वादी अधिवक्ता द्वारा वादी सं. 6 के  
कां. मु. प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया  
गया है। इसके अतिरिक्त प्रा. प्रमुदयाण  
द्वारा कां. मु. की कार्यवाही नहीं करने  
के लिए दिनांक 12-2-2021 को पेश प्रा. पत्र  
का जवाब आज तक वकील वादी द्वारा पेश  
नहीं किया गया है।

अतः न्याय के क्षेत्र में कार्यवाही मु. काम  
की कार्यवाही नहीं करने के लिए प्रा. पत्र  
स्वीकार किया जाकर वादी का वा. 2  
स्वीकार किया जाता है। फावली के सं. 6  
भूमा. होकर नम्बर से काम होकर  
दस्तावेज दारिज हो। (७)